रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 1985/वैशाख 6, 1907
No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 1985/VAISAKHA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का आ 362 (अ)—केन्द्रीय सरकार की राय है कि सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में संगठित हिंसा की घटनाओं के आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना जरूरी है ।

2. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र होंगे ।

3. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुई संगठित हिंसा की घटनाओं से संबंधित आरोपों की जांच करना ।

(ii) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिन्हें ऐसी घटनाओं के फिर से होने को रोके जाने के लिए अपनाया जाय ।

4 आयोग अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र, लेकिन इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 महीने के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

5 आयोग, यदि वह उचित समझे तो उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित किसी भी मामले पर उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने से पहले केन्द्रीय सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है ।

6. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

7. केन्द्र सरकार की यह राय है कि, की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किये जाने चाहिएं, और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उस धारा की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे ।

[II-14013/28/84-आई.एस. (यू.एस. डी-V]

डा. एस. पी. बिश्नोई, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1985

S. O. 362(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the allegations in regard to the incidents of organised violence in Delhi following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry to be presided over by Shri Justice Ranganath Misra, a sitting Judge of the Supreme Court.

3. The terms of reference of the Commission shall be as follows :—

(i) To enquire into the allegations in regard to the incidents of organised violence which took place in Delhi following the assassination of the late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.

(ii) To recommend measures which may be adopted for preventing the recurrence of such incidents.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as may be but not later than six months from the date of publication of this Notification in the official Gazette.

5. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the expiry of the said period on any of the matters mentioned in paragraph 3 above.

6. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

7. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[II-14013/28/84-IS (US : D. V)]

DR. S. P. VISHNOI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985